

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-1/विविध-22/2012(I)- 80(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 4/2/2025

डॉ० आई० एस० ठाकुर, अधीक्षक (संविदा), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना की संविदा अवधि दिनांक-31.01.2025 को समाप्त होने के कारण डॉ० ठाकुर की संविदा अवधि को दिनांक-31.01.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

2- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दिनेश कुमार झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/विविध-22/2012(I)- 80(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 4/2/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, "ई-गजट" कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी गजट के प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डा० आई०एस० ठाकुर, अधीक्षक (संविदा), पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2, 3, 7, 9, 17, 18ए एवं लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- डी०पी०एम०यू० लीड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव